कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : 13 दिनांक: 13/4/2023

श्रीमान उप वन संरक्षक
कोटा

विषय :– Costruction of road under PMGSY Salawadkhurd to Barodiya antri

प्रसंग :– आपका पत्रांक एफ( )उवस/तक./2022–23/2631 दिनांक 28.03.23

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिला कोटा में सलावद खुर्द से बड़ौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को 5 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त अनुपालना पूर्ण न होने के कारण पत्र क्रमांक 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/819 दिनांक 18.09.2015 से स्वीकृति निरस्त होने से नवीन प्रस्ताव ऑन लाईन किया गया था। इस सड़क पर पूर्व में 57,01,429/– रूपये विभिन्न गतिविधियों में जमा करवाये गये थे। जिसमें से राशि रू. 11,92,459/– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है0 अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक जमा करवाये गये है।

अतः आप पूर्व में जमा राशि को कम करके अन्तर राशि से अवगत करवाने की कृपा करें ताकि राशि जमा करवाने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- आपका पत्रांक
10862-64
11.09.2017

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.)।।

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@gmail.com)

क्रमांकः–एफ ( )उवसं/तक./ 2017/ दिनांकः

निमित्तः–

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

कोटा(राज.)

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सलावदा खुर्द से बडौदिया आतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है. वनभूमि का प्रत्यांवर्तन के संबंध में राशि रू0 1,42,479/– की केम्पा फण्ड में जमा कराने बाबत।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक एफ 13(वन संरक्षण)समुवसं/2015/3181 दिनांक 21.04.2017

महोदय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि, प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशाषी अभियंता,सा.नि.वि.खण्ड रामगंजमण्डी ने उनके पत्र क्रमांक 481 दिनांक 01.08.2017 के तहत उक्त आलोच्य प्रस्ताव के अन्तर्गत शेष अंतर राशि 1,42,479/–रूपये केम्पा फण्ड में जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र के साथ, मुख्य अभियंता जयपुर द्वारा कराये जाने का प्रमाण पत्र के साथ, मुख्य अभियंता जयपुर के पत्रांक 616 दिनांक 14.03.2017 एवं यू.ओ.नोट उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर की छायाप्रतियां संलग्न कर इस कार्यालय को अग्रेषित की गई है। जिसकी छायाप्रतियां संलग्न है।

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक लेण्ड एक्यूजेशन/एस.ई.पी.एम.जी.एस. बाई/08–09/डी./616 दिनांक 14.03.2017 में वर्णित अनुसार आलोच्य प्रस्ताव (सलावदाखुर्द से बडौदिया आंतरी सड़क जिला कोटा के प्रकरण के अन्तर्गत शेष अंतर राशि 1,42,479/–रूपये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में अन्य सड़को के प्रकरणों में इसको भी सम्मिलित किया गया है।

यू.ओ.नोट के अनुसार केम्पा फण्ड में स्वीकृति अनुसार राशि **15,32,598/–रूपये** में उक्त आलोच्य प्रस्ताव के अन्तर्गत शेष अंतर राशि **1,42,479/–रूपये** भी सम्मिलित है। केम्पा फण्ड में जमा कराने के संबंध में आर.टी.जी.एस /यूटीआर नम्बर यू.ओ. नोट के अनुरूप जमा राशि की पुष्टि अनुसार निम्नानुसार है।

Bill No & Date	Amount	Bill Type	Try soft copy Ref.No./UTR No.	Bank A/c No.	Treasury Voucher No.	Payment date
975&22.03.2017	15,32,598.00	FVC	10510210024031710616639_240317903	SB1025225	73257	25/03/2017

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज. 106/33/2008/एफ.सी./162 दिनांक 11.05.2009 के तहत उक्त आलोच्य प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की गई। जिसकी प्रयोक्ता ऐंजेसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तोधीन बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्ते	विवरण	विशेष विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर अर्थात 4.896 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करत हुये यथा संशोधित) जमा किया जावेगा।	@145925 4.896Ha x 145925 =Rs.7,14,449/-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या 1,2,3 व 6 की कुल योग राशि **Rs.57,01,429/-केम्पा** फण्ड में पृथक–पृथक निम्नानुसार जमा करवाई गई है। (1) कुल राशि रू. 42,87,269/–चैक संख्या 309436 दिनांक 22.03.2010 दिनांक 25.03.2010 कारपोरेशन बैंक, केम्पा फण्ड में जमा। (2)कुल राशि रू. 574553/– चैक सं. 312446 दिनांक 30.01.2012 दिनांक 30.01.2012 को केम्पा फण्ड कॉरपोरेशन बैंक में जमा कराया गया। (3)कुल राशि रू. 1,38,47,228/–केम्पा फण्ड नई दिल्ली को दिनांक 31.03.2016 को जमा डी.डी. स0 450711 दिनांक 31.03.2016 में इस परियोजना की राशि रू

E/TECHNICAL 2017/CCF LETTER 2017

			6,97,573/- रूपये सम्मिलित है जिसका [illegible] बैंक जयपुर में दिनांक 04.04.2016 का [illegible] जमा कराया गया। (4) दिनांक 25.03.2017 को जमा की गई [illegible] 15,32,598/-रूपये में इस परियोजना की [illegible] अंतर राशि भी 1,42,479/-रूपये सम्मिलित है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन के (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0पी0 की निर्धारित राशि जमा की जावेगी।	@626000 4.896Ha x 626000 =Rs.3[illegible],6[illegible] 896/-	--
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा करेगा।	**Rs.7,29,625/-**	--
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति के वनभूमि का उपयोग किया गया है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अर्थात 9.792 है0 अवनत वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जो उनकी सर्विस बुक पुस्तिका में किया जावेगा। और उसकी एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को उपलब्ध करवाइ जावेगी।	@11,21,779 9.792Ha. x 121779 **=Rs.11,92,459/-**	--
	कुल योग	**Rs.57,01,429/-**	
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों का पुनर्वलोकन मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह अंडर टेकिंग भी ली जाये कि, अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगी।		वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6	भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रति पूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0-1581, कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली- 110003 में जमा करवाये जावे।		लेखा संख्या सी0-1581, कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली- 110003 में जमा करवाये गये।

	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों को कडी चेतावनी दी जावेगी तथा इस तथ्य का वर्ण उनकी सर्विस पुस्तिका में किया जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को उपलब्ध करवाइ जावेगी।		अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सर्विस बुक में अंकित प्रविष्टि । की छायाप्रति आज तक उपलब्ध नही करवाई गई है। जिसके क्रम में क्रमशः इस कार्यालय के पत्र पृष्ठांकित क्रमांक 9046–43 दिनांक 18.06.2012, 9871–73 दिनांक 03.07.2012, मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक पृष्ठांकित क्रमांक 7498 दिनांक 12.07.2012, इस कार्यालय के पत्र पृष्ठांकित क्रमांक 12431–33 दिनांक 09.08.2012, 871–77 दिनांक 17.01.2014, मुख्य वन संरक्षक,राज0कोटा के पत्र पृष्ठांकित क्रमांक 639–43 दिनांक 22.01.2014, पत्र क्रमांक 4037–38 दिनांक 22.04.2015, 7159–60 दिनांक 25.07.2015. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0जयपुर के पत्र पृष्ठांकित क्रमांक 2008–10 दिनांक 20.06.2017 दिनांक 18.08.2017 पत्र जारी किये गये है।

उक्त आलोच्य प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवाऊ परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 8बी / राज. / 06 / 33 / 2008 / एफ.सी. / 819 दिनांक 18.09.2015 के अनुसरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2009 की पालना नही होने में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांगदर्शिका के पेरा 4.2(I) एवं (II) के तहत उक्त प्रस्ताव को बंद / निरस्त कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो की उक्तानुसार पालना की जाने की / केम्पा फण्ड में जमा राशि की रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

संलग्न–उक्तानुसार

भवदीय

sd.
(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकः–एफ ( )उवसं / तक. / 2017 / 10862-64 दिनांक 11-9-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राज. जयपुर।
02. अधीक्षण अभियंता,सा.नि.वि.रा.उ.खण्ड–कोटा।
03. अधिशाषी अभियंता, सा0नि0वि0रा0उ0मार्ग खण्ड रामगंजमण्डी।

(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा

E/TECHNICAL 2017/CCF LETTER 2017